पटना में दिनांक–04 जुलाई, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2023 की स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

2. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

3. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 05 पदों का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

4. बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली–2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

5. राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत 08 पदों में से आशुलिपिक/ आशुटंकक ग्रेड–II के 02 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक /आशुटंकक संवर्ग के शेष 06 पदों को प्रत्यर्पित करने के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

6. भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 की धारा–38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9. विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप की सुविधा देने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**